

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 407 / 2015
संस्थित दिनांक-01 / 12 / 2015
फाइलिंग नंबर-230303019612015

निर्भय सिंह पुत्र जसमंत सिंह आयु 54 साल,
निवासी ग्राम एण्डोरी थाना एण्डोरी,
परगना गोहद जिला भिण्डअपीलार्थी / आरोपी

वि रु द्ध

1. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र एण्डोरी,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)
2. देवीसिंह पुत्र प्राणसिंह,
आयु 76 साल निवासी ग्राम एण्डोरी जिला भिण्ड
.....प्रत्यर्थी / अभियोगीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी / परिवारी द्वारा श्री सागर सिंह कंसाना अधिवक्ता

न्यायालय-श्री पंकज शर्मा, जे.एम.एफ.सी, गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-350 / 2014 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 04 / 11 / 2015 से उत्पन्न
दांडिक अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 13 मई 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री पंकज शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 350 / 2014 निर्णय दिनांक-04 / 11 / 2015 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / अपीलार्थी को धारा-324 भा.द.वि. के अपराध में दोषमुक्त किया गया है एवं आरोपी / अपीलार्थी को धारा-323 भा0दं0सं0 के अपराध में एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी / अपीलार्थी एवं फरियादी / प्रत्यर्थी एक ही स्थान के निवासी हैं ।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-07/12/2011 को दिन के करीब 2:00 बजे आरोपी एवं फरियादी के उसरा वाले खेत पर जो ग्राम एण्डोरी में स्थित है, उसकी गेहूं की फसल में से ट्रैक्टर निकालने पर परिवादी द्वारा रोके जाने पर आरोपी द्वारा धारदार आयुध हसिये व लाठी से फरियादी की मारपीट कर उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट परिवादी द्वारा उसी दिनांक को थाना एण्डोरी में किए जाने पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना लेखबद्ध कर फरियादी देवीसिंह का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट होने के कारण फरियादी देवीसिंह द्वारा घटना के संबंध में लिखित परिवाद दिनांक-07/03/2012 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं उसके साक्षीगण के धारा-200 द.प्र. सं. के कथन लेखबद्ध करने के पश्चात आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक-05/05/2014 को धारा-323 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा-324 भा.द.वि.का आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर उसने आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपी/अपीलार्थी निर्भय सिंह को धारा-324 भा.द.वि. के अपराध में दोषमुक्त किया गया एवं धारा-323 भा.द.वि.के अपराध में एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।
5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलिय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि परिवादी का पुत्र रामकिशोर द्वारा आरोपी/अपीलार्थी के भाई जितेन्द्र उर्फ पप्पू की हत्या में सम्मिलित होकर हत्या की थी, जिसमें उसे आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उसी झूठी रंजिश पर से झूठी साक्ष्य परिवादी ने पेश की है, जबकि स्वतंत्र साक्ष्य परिवादी की ओर से पेश नहीं होने के बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कथित दण्डाज्ञा निर्णय दि०-04/11/2015 पारित करने में त्रुटि की है, जो निरस्ती योग्य है। परिवादी ने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 में खेत में पानी चलना बताया है, जबकि अन्य साक्षी अ.सा.-2 व 3 ने खेत में पानी लगना नहीं बताया है, न ही परिवादपत्र में इन तथ्यों का उल्लेख है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है, जो निरस्ती योग्य है।
6. परिवादी ने जो चोट धारदार हथियार से आना बताया है, उसके संबंध में साक्ष्य दी है लेकिन आ.सा.-04 डॉ आलोक शर्मा ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया है कि देवीसिंह को चोट धारदार आयुधसे नहीं आयी थी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि परिवादी को कोई चोट

नहीं थी उसने रंजिशन असत्य घटनाक्रम तैयार करके झूठा मामला बनाया है। परिवादी ने धारा-200 व 202 द0प्र0स0 के कथनों के पश्चात जो साक्ष्य दी है, उसमें घटना को बढ़ा चढ़ाकर व सीखकर वर्णित किया है, परिवादी साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास होने पर परिवादी की कहानी को प्रमाणित नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने साक्षीगण के कथनों पर विश्वास किया है और उक्त विरोधाभासों को नजर अंदाज करते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर भूल की गयी है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। क्योंकि महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे।

7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है?

—- **निष्कर्ष के आधार** —-

8. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीय ज्ञापन में लिये गये बिन्दु और उठाये गये आधारों में तर्कों में यह बताया गया है कि फरियादी/प्रत्यर्थी का मामला असत्य है, उसके द्वारा की गयी रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा कोई मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया था और उसने पुरानी रंजिशन के चलते झूठा परिवाद किया क्योंकि परिवादी के पुत्र रामकिशोर पर उसके भाई जितेन्द्र उर्फ पप्पू की हत्या का मामला चला था जिसमें उसे दोषी मानकर आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उसी रंजिशन पर से परिवादी देवीसिंह ने अपने हितबद्ध लोगों से मिलकर झूठा मामला परिवाद के रूप में पेश किया और झूठी साक्ष्य दी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है तथा साक्षियों के कथनों में विरोधाभास की स्थिति है। फरियादी खेत में पानी चलना बताता है, अन्य साक्षी इंकार करते हैं। शरीर के किस विशेष भाग में चोट लगी ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। चिकित्सीय साक्ष्य से परिवादी की साक्ष्य का समर्थन नहीं है। डॉ. आलोक शर्मा ने धारदार हथियार से चोट आने से इंकार किया। विरोधाभासों पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्र.डी.-1 के हत्या के

मामले के निर्णय को भी अवलोकन में नहीं लिया इसलिये दोषसिद्धी व दण्डाज्ञा दोनों ही विधि विरुद्ध होने से अपास्त किया जावे और दोषमुक्ति की जाये।

9. प्रत्यर्थी/परिवादी देवीसिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह व्यक्त किया है कि आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा हसिया से चोट पहुंचायी गयी थी जिसकी प्रत्यक्ष साक्ष्य है और खेत की घटना है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-324 भा.दं.वि. में चिकित्सक की साक्ष्य के आधार पर दोषमुक्ति कर दी और धारा-323 भा.दं.वि. में दोषसिद्धी करके केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया, जबकि अपीलार्थी/आरोपी को कारावास की दण्डाज्ञा आवश्यक थी, क्योंकि परिवादी 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, जिसे अकारण मारा गया है इसलिये अपील निरस्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को कारावास से भी दण्डित किया जावे।
10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया।
11. अभिलेख का परीशीलन किया गया अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर भी मनन किया गया विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा 323 भा0द0सं0 के अंतर्गत दोषी मानकर दण्डित करते हुए एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रत्यर्थी/परिवादी देवीसिंह की ओर से कोई काउन्टर अपील धारा-324 भा.दं.वि. में दोषसिद्धी के बिन्दु पर या केवल जुर्माने से दण्डित करने पर दण्डाज्ञा वृद्धि बाबत अपील नहीं की गयी है। इसलिये दण्डाज्ञा बढ़ाये जाने के संबंध में की गयी तर्कों के माध्यम से की गयी प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-386 (ख) III का प्रावधान अवलोकनीय है। इसलिये परिवादी/प्रत्यर्थी का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है और विचाराधीन अपील के मामले में अपीलीय न्यायालय केवल इस बात पर विचार कर सकता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-222 द.प्र.सं. के तहत धारा-323 भा.दं.वि. में दोषसिद्धी की है तथा जो अर्थदण्ड की दण्डाज्ञा दी है क्या वह स्थिर रखे जाने योग्य है, या अपास्त किए जाने योग्य है? क्योंकि अभियोजन की ओर से भी कोई काउन्टर अपील प्रस्तुत नहीं है।
12. जहां तक पूर्व की रंजिश का बिन्दु उठाया गया है, परिवाद मूलतः दिनांक-07/03/2012 को पेश किया गया था। जिस सत्र प्रकरण-72/2005 का अपीलार्थी/आरोपी की ओर से आधार लिया गया है उसका निर्णय प्र0डी0-01 मुताबिक दिनांक-4/5/2010 को हो चुका था जिसमें पप्पू उर्फ जितेन्द्र की हत्या के मामले में देवी के पुत्र रामकिशोर को अन्य अभियुक्तों के साथ दोषसिद्ध कर आजीवन

कारावास की दण्डाज्ञा से तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश गोहद द्वारा दण्डित किया गया । उसकी रंजिश पर से परिवाद संस्थित किया जाना इसलिये नहीं माना जा सकता है कि दोनों की समयावधि में काफी अंतराल है । अपीलार्थी/आरोपी का यह आधार कि सत्र प्रकरण में समझौता न करने के कारण झूठा परिवाद पेश किया गया इसे भी इसलिये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सत्र प्रकरण का निराकरण पूर्व में ही हो चुका था इसलिये समझौते के लिए दबाव डालने का बिन्दु परिवाद में उत्पन्न ही नहीं होता है । इसलिये इस बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है । लेकिन इससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दूषित नहीं माना जा सकता है । और विशुद्ध रूप से यही देखना होगा कि अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधिसंवत और साक्ष्य आधारित है अथवा नहीं ?

13. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से यह भी परिवाद धारा-323 भा.दं.वि.के अंतर्गत दिनांक-5/5/2014 को पंजीबद्ध किया गया था । आरोप धारा-324 भा.दं.वि.के तहत विरचित किया लेकिन उसको लेकर कोई दाण्डिक पुनरीक्षण नहीं की गयी, न ही उसे अपीलीय स्तर पर उठाया गया है । अततः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-323 भा.दं.वि. में मौखिक, प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी की गयी है । आरोप का बिन्दु अब ऐसी स्थिति में गौण हो जाता है ।

14. परीक्षित साक्षियों में परिवादी देवीसिंह आ.सा.-01, राजपालसिंह आ.सा.-2 और पंकज आ.सा.-3 तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं क्योंकि राजपालसिंह परिवादी का पुत्र और पंकज राजकिशोर का पुत्र होकर परिवादी का नाती है । इसलिये तीनों साक्षियों की आपस में हितबद्धता तो है किन्तु उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति बतायी गयी है । खेत की फसल की नुकसानी को लेकर विवाद की स्थिति बतायी गयी है । और मूलतः यह बताया गया है कि परिवादी के खेतों में पानी चल रहा था । अपीलार्थी/आरोपी निर्भय ने पानी में से ट्रैक्टर को निकाला था जिससे फसल का नुकसान हो गया था । रोकने पर उसके द्वारा विवाद करते हुए गाली गलौच की गयी और देवीसिंह की मारपीट की गयी जिसमें बांये हाथ की बांह में निचले भाग पर हसिया मारना भी बताया गया, लाठी मारना भी बताया गया । राजपाल और पंकज के द्वारा मौके पर उपस्थित होते हुए बीच बचाव करना बताया है । हालांकि साक्षियों ने हसिया धार तरफ से मारना बताया है । किन्तु चिकित्सीय साक्ष्य में डॉ० आलोक शर्मा आ.सा.-4 ने बांयी अग्र भुजा पर छिला निशान और बांयी पिण्डली पर नीलगू की चोटें बताते हुए सख्त भौथरी वस्तु से साधारण प्रकृति की बतायी है और उसने प्र.पी.-2 की मेडीकल रिपोर्ट को प्रमाणित किया है जो मेडीकल परिवादी द्वारा पुलिस में की गयी शिकायत पर धारा-155 द.प्र.सं. के तहत पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना दर्ज करते हुए कराया गया था । जिससे इस बात की पुष्टि तो होती है कि घटना दि०-7/12/2011 के दिन के समय की है उसी दिन मेडीकल

परीक्षण हुआ । जिससे बताया गयी घटना दिनांक को परिवारी देवीसिंह के चोटिल होने की पुष्टि होती है ।

15. अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे परिवारी देवीसिंह और साक्षी राजपाल और पंकज की खेत पर उपस्थिति का खण्डन होता हो । अपीलार्थी/आरोपी ने 315 द.प्र.सं. के तहत स्वयं का व.सा.-1 के रूप में कथन देते हुए सत्रवाद क्र०-72/2005 के आधार पर केवल रंजिश का बिन्दु उठाया जो कि सुदृण आधार नहीं है । इसलिये बचाव साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह केवल प्रतिरक्षा के उद्देश्य से प्रस्तुत की गयी है ।

16. परिवारी की आ.सा.-1 लगायत आ.सा.-3 तक की साक्ष्य में अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा ट्रैक्टर को खेत में पलट दिये जाने और उसके बाद देवीसिंह से झगडा कर चोटिल किए जाने की साक्ष्य दी गयी है । जिसे खण्डित नहीं किया गया है । और तीनों साक्षियों को केवल रिश्ते के साक्षी होने के आधार पर अग्राह्य या अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । ऐसे में आ.सा.-1 लगायत आ.सा.-3 की साक्ष्य को चोट पहुंचाने के बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सारतः पुष्टि योग्य मानकर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । चोट की प्रकृति और उसके प्रकार को देखते हुए परिवारी देवीसिंह की चोटें धारा-323 भा.दं.वि. की परिधि के अंतर्गत ही आती हैं । ऐसे में धारा-323 भा.दं.वि.के अपराध के लिए अपीलार्थी/आरोपी की, की गयी दोषसिद्धी को विधि विरुद्ध नहीं ठहराया जा सकता है । दोषसिद्धी के बिन्दु पर दाण्डिक अपील में लिये आधार और उठाये बिन्दु ऐसी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं रह जाते हैं । फलतः दोषसिद्धी के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन मानते हुए **निरस्त** की जाती है ।

17. जहां तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है । अभिलेख पर अपीलार्थी/आरोपी की पूर्व दोषसिद्ध होने का बिन्दु नहीं है चोट अत्यंत साधारण प्रकृति की है और उससे आहत की शारीरिक क्षमता में कोई कमी आयी हो ऐसा भी दर्शित नहीं होता है । तथा अपीलार्थी/आरोपी करीब 52 वर्षीय प्रौढ व्यक्ति है जिसे अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति बताया गया है जिसका खण्डन नहीं हुआ है हालांकि उसके द्वारा बिना कारण विवाद को जन्म दिया गया और अपने से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति के साथ मारपीट की । इसलिये दोषसिद्ध अपराध धारा-323 भा.दं.वि. में एक हजार रुपये का किया गया अर्थदण्ड का दण्डादेश कतई कठोर दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि वह न्यूनतम दण्ड की श्रेणी का ही है और दण्डादेश वृद्धि के संबंध में काउन्टर अपील न होने से उसमें कोई वृद्धि नहीं की जा सकती है । इसलिये दण्डाज्ञा के बिन्दु पर भी प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन होने से निरस्त की जाकर यथावत पुष्टि की जाती है ।

18. प्रतिकर के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य

निर्णय कंडिका-18 को भी यथावत रखा जाता है।

19. अपील में प्रस्तुत अपीलार्थी/आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। निराकरण के लिए कोई संपत्ति जब्त नहीं है।

दिनांक: 13 मई 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड